सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **255/2017** दायर दिनाँक **11.09.2017**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. केसरी पत्नी जस्साराम, उम्र—58साल, 2. प्रियंका पुत्री गड्डू उर्फ सोनू, उम्र—08साल, (वादी संख्या 02 नाबालिग जरिये संरक्षक दादी वादी संख्या 01 केसरी), समस्त,जाति—खरेश, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. सरजूदेवी पत्नी गोमाराम, उम्र—50साल, जाति—मेघवाल, निवासी—खरेश, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 2. बिरूराम पुत्र धन्नाराम, उम्र—45साल, 3. चुनकी पत्नी धन्नाराम, उम्र—25साल, प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03, जाति—सांसी, निवासी—खरेश, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 4. आपीस उर्फ धापू पत्नी भँवरू, उम्र—60साल, 5. केसराराम पुत्र भँवरू, उम्र—40साल, 6. पूर्णाराम पुत्र भँवरू, उम्र—38साल, 7. बुलाराम उर्फ श्यामलाल पुत्र भँवरू, उम्र—25साल, 8. सन्तरा पत्नी कालूराम, उम्र—30साल, 9. जलेबी पत्नी बुलाराम उर्फ नानुराम, उर्म—30साल, प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 09 तक, जाति—सांसी, निवासी—बड़ीखाटू, तहसील—जायल, जिला—नागौर, राजस्थान, 10. शंकर पुत्र जस्सा, 11. दलिप पुत्र जस्सा, 12. राजू पुत्र जस्सा, 13. मोती पुत्र मूला, उम्र—40साल, 14. सुरेश पुत्र चौथा, उम्र—35साल, 15. मदनाराम पुत्र मांगीया, उम्र—20साल, 16. मोटुराम पुत्र मांगीया,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–255/2017
दायर दिनाँक 11.09.2017, निर्णय दिनाँक 21.12.2017
केसरी, वगैरा बनाम् सरजूदेवी, वगैरा।

		उम्र–23साल, 17. रामस्वरूप पुत्र मांगीया, उम्र–35साल, 18. रमेश पुत्र मांगीया, उम्र–25साल, प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 18 तक, जाति–सांसी, निवासी–खरेश, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 19. रामचन्द्र पुत्र बजरंगलाल, जाति–मेघवाल, निवासी–खरेश, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 20. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित :–

1. श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, वकील, वादीगण।
2. श्री मो0 रफीक, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01, 04 ता 12 व 14 ता 17 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **21.12.2017**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार से हैं। खेत खसरा नम्बर 410 रकबा 08.04 बीघा, खसरा नम्बर 411 रकबा 10.06 बीघा, खसरा नम्बर 412 रकबा 0.19 बीघा, खसरा नम्बर 413 रकबा 07.19 बीघा, वाकै शरहद खरेश पटवारी हल्का खरेश भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खुनखुना में स्थित है।

वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। खतौनी नकल पेश है। वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज अवश्य है मगर वादग्रस्त भूमि का मौखिक बन्टवारा हो गया है। मौखिक बन्टवारा निम्नानुसार है:–

1. **खसरा नम्बर 410 रकबा 08.04 बीघा भूमि का बन्टवारा–**

प्रतिवादी संख्या 02 बिरूराम, प्रतिवादी संख्या 03 चुनकी, प्रतिवादी संख्या 04 आपीस, प्रतिवादी संख्या 05 केसराराम, प्रतिवादी संख्या 06 पूर्णाराम, प्रतिवादी संख्या 07 बुलाराम, प्रतिवादी संख्या 08

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

सन्तरा, प्रतिवादी संख्या 09 जलेबी की भूमि संयुक्त रूप से बन्ट में आई हुई है।

2. **खसरा नम्बर 412 रकबा 0.19 बीघा भूमि का बन्टवारा–**

प्रतिवादी संख्या 01 केसरी, वादी संख्या 02 प्रियंका, प्रतिवादी संख्या 10 शंकर, प्रतिवादी संख्या 11 दलीप, प्रतिवादी संख्या 12 राजू व प्रतिवादी संख्या 14 सुरेश व प्रतिवादी संख्या 02 बिरूराम के संयुक्त रूप से बन्ट में आई हुई है।

3. **खसरा नम्बर 411 रकबा 10.06 बीघा भूमि का बन्टवारा–**

प्रतिवादी संख्या 01 सरजू के 01 बीघा, वादीया केसरी व वादी संख्या 02 प्रियंका के 01.10 बीघा, प्रतिवादी संख्या 15 मदनलाल, प्रतिवादी संख्या 16 मोटुराम, प्रतिवादी संख्या 17 रामस्वरूप व प्रतिवादी संख्या 18 रमेश के 01 बीघा जमीन, प्रतिवादी संख्या 19 रामचन्द्र के 01. 01 बीघा व जमीन 04.10 बीघा, प्रतिवादी संख्या 14 सुरेश के व 01.05 बीघा भूमि वादीया केसरी, प्रियंका, प्रतिवादीगण संख्या 10, 11 व 12 के भूमि संयुक्त रूप से बन्ट में आई हुई है।

4. **खसरा नम्बर 413 रकबा 07.19 बीघा भूमि का बन्टवारा–**

प्रतिवादी संख्या 01 केसरी व वादी संख्या 02 प्रियंका के व प्रतिवादी संख्या 10 शंकर, प्रतिवादी संख्या 11 दलिप, प्रतिवादी संख्या 12 राजू व प्रतिवादी संख्या 13 मोती के संयुक्त रूप से भूमि बन्ट में आई हुई है।

वादी संख्या 02 प्रियंका के पिता गड्डू फौत हो चुके हैं, प्रियंका के सभी दस्तावेजों में अपने पिता का नाम सोनू है। इसलिए प्रियंका के राजस्व रिकॉर्ड में पिता का नाम गडडू उर्फ सोनू करवाना चाहती है तथा प्रतिवादी संख्या 01 सरजूदेवी का कब्जा खसरा नम्बर 411 में 01 बीघा भूमि पर है तथा भूलवश नाम खसरा नम्बर 410 में प्रतिवादी संख्या 01 सरजूदेवी का दर्ज हो गया। उक्त खसरों में खातेदार सुगना, धन्ना, भँवरू, भौमा, हीरा, सादुला, मांगीया फौत हो चुके हैं तथा खातेदार सुगना लाऔलाद फौत हो चुके है जिनके वारिशान् प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 09 है तथा खातेदार भोमा, हीरा व मंगलाराम लाऔलाद फौत हो चुके हैं जिनके वारिश प्रतिवादी संख्या 12 सुरेश है। खातेदार सादुला पुत्र मांगीया जो कि फौत हो चुके है, इनके वारिशान् मदनराम, मोटुराम, रामस्वरूप व रमेश हैं।

वादीगण अपने हिस्से की भूमि पर कदीम से काश्त करते आये हैं। दिनाँक 06.09.2017 से प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को किसी को बैचने की एलानियाँ धमकी वादीगण को दी गयी। अगर इसमें प्रतिवादीगण सफल हो गये तो वादीगण को अपार क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति नकदी से करना सम्भव नहीं होगा।

यह वाद किसी सरकारी भूमि बाबत् नहीं है इसलिए तहसीलदार डीडवाना को वाद से पूर्व दो माह की अवधि का कानूनी नोटिस नहीं दिया गया है। मगर वाद भाई बन्टवारे का होने के कारण से

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–255 / 2017
दायर दिनाँक 11.09.2017, निर्णय दिनाँक 21.12.2017
केसरी, वगैरा बनाम् सरजूदेवी, वगैरा।

तहसीलदार डीडवाना को लैण्ड होल्डर के रूप में वाद में पक्षकार बनाया गया है।

बिनाय दावा दिनाँक 06.09.2017 को प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त भूमि का बैचाण करने की धमकी देने एवं दिनाँक 06.09.2017 को खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने पर पैदा हुई व हो रही है।

प्रार्थना वादीगण है कि–

शरहद खरेश में निम्न खसरा की भूमि में से बन्ट अनुसार खातेदारी दी जावेः–

1. **खसरा नम्बर 410 रकबा 08.04 बीघा भूमि का बन्टवारा–**

प्रतिवादी संख्या 02 बिरूराम, प्रतिवादी संख्या 03 चुनकी, प्रतिवादी संख्या 04 आपीस, प्रतिवादी संख्या 05 केसराराम, प्रतिवादी संख्या 06 पूर्णाराम, प्रतिवादी संख्या 07 बुलाराम, प्रतिवादी संख्या 08 सन्तरा, प्रतिवादी संख्या 09 जलेबी की भूमि संयुक्त रूप से बन्ट में आई हुई है।

2. **खसरा नम्बर 412 रकबा 0.19 बीघा भूमि का बन्टवारा–**

प्रतिवादी संख्या 01 केसरी, वादी संख्या 02 प्रियंका, प्रतिवादी संख्या 10 शंकर, प्रतिवादी संख्या 11 दलीप, प्रतिवादी संख्या 12 राजू व प्रतिवादी संख्या 14 सुरेश व प्रतिवादी संख्या 02 बिरूराम के संयुक्त रूप से बन्ट में आई हुई है।

3. **खसरा नम्बर 411 रकबा 10.06 बीघा भूमि का बन्टवारा–**

प्रतिवादी संख्या 01 सरजू के 01 बीघा, वादीया केसरी व वादी संख्या 02 प्रियंका के 01.10 बीघा, प्रतिवादी संख्या 15 मदनलाल, प्रतिवादी संख्या 16 मोटुराम, प्रतिवादी संख्या 17 रामस्वरूप व प्रतिवादी संख्या 18 रमेश के 01 बीघा जमीन, प्रतिवादी संख्या 19 रामचन्द्र के 01. 01 बीघा व जमीन 04.10 बीघा, प्रतिवादी संख्या 14 सुरेश के व 01.05 बीघा भूमि वादीया केसरी, प्रियंका, प्रतिवादीगण संख्या 10, 11 व 12 के भूमि संयुक्त रूप से बन्ट में आई हुई है।

4. **खसरा नम्बर 413 रकबा 07.19 बीघा भूमि का बन्टवारा–**

प्रतिवादी संख्या 01 केसरी व वादी संख्या 02 प्रियंका के व प्रतिवादी संख्या 10 शंकर, प्रतिवादी संख्या 11 दलिप, प्रतिवादी संख्या 12 राजू व प्रतिवादी संख्या 13 मोती के संयुक्त रूप से भूमि बन्ट में आई हुई है।

खातेदार सुगना व भोमा, हीरा व मंगलाराम जो लाऔलाद फौत हो चुके हैं, इनका नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावे। वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वाद के संलग्न वाद के समर्थन में वादीगण का शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम खरेश सम्वत् 2070–2073 खेवट संख्या 311 / 278 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबन्दी ग्राम खरेश सम्वत्

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–255/2017
दायर दिनाँक 11.09.2017, निर्णय दिनाँक 21.12.2017
केसरी, वगैरा बनाम् सरजूदेवी, वगैरा।

2070–2073 खेवट संख्या 324/290 की प्रमाणित प्रतिलिपि, भारत निर्वाचन आयोग पहचान–पत्र संख्या AZB/0308189 निर्वाचक का नाम रामस्वरूप की छायाप्रति, भारत सरकार द्वारा जारी आधार संख्या 262582724479 नाम मोदुराम की छायाप्रति, भारत निर्वाचन आयोग पहचान–पत्र संख्या AZB/0359265 निर्वाचक का नाम रामेश्वर की छायाप्रति, भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र, पावती, निवासी की प्रति नामांकन संख्या 2091/74506/00654 दिनाँक 10.12.2015 नाम मदन की छायाप्रति, भारत सरकार द्वारा जारी आधार संख्या 434552250699 नाम संतरा की छायाप्रति, भारत सरकार द्वारा जारी आधार संख्या 897501693791 नाम श्यामलाल की छायाप्रति, भारत निर्वाचन आयोग पहचान–पत्र संख्या RJ/02/192/513350 निर्वाचक का नाम पुरणाराम की छायाप्रति, भारत सरकार द्वारा जारी आधार संख्या 793073326363 नाम संतरा की छायाप्रति, भारत सरकार द्वारा जारी आधार संख्या 766577396610 नाम घापूदेवी की छायाप्रति, भारत सरकार द्वारा जारी आधार संख्या 840123865891 नाम नोतीराम की छायाप्रति, भारत सरकार द्वारा जारी आधार संख्या 794915880550 नाम वीरू की छायाप्रति, भारत सरकार द्वारा जारी आधार संख्या 912452575357 नाम केशरी की छायाप्रति, भारत सरकार द्वारा जारी आधार संख्या 822172368569 नाम राजू राम की छायाप्रति, भारत सरकार द्वारा जारी आधार संख्या 595176260472 नाम शंकर की छायाप्रति, भारत सरकार द्वारा जारी आधार संख्या 900654136201 नाम दिलीप की छायाप्रति व भारत सरकार द्वारा जारी आधार संख्या 625968582048 नाम सुरेश की छायाप्रति, पेश है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 20 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 19 व 20 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का ओदश पारित किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 01, 04 ता 12, 14 ता 17 की ओर से वाद में इकबालिया जवाब पेश हुआ। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 व 06 ता 18 ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना स्वीकार किया गया। वादीगण की पहचान वकील श्री मो0 शरीफ शेरानी ने की तथा प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री मो0 रफीक ने की है। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

राजीनामा के मुताबिक, वाद वर्णित मौखिक बन्ट अनुसार पक्षकारान् खातेदारी चाहते हैं।

वकुलाय उभयपक्ष की सारगर्भित बहस सुनी गई। अधिवक्तागण पक्षकारान् राजीनामा मुताबिक दावा डिक्री किया जाने की इस्तदुआ कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

पक्षकारान् ने इकबालीया जवाब व राजीनामा पेश कर दिया है। राजीनामा पक्षकारान् के परिप्रेक्ष्य में, पक्षकारान्, खातेदारी चाहते

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–255 / 2017
दायर दिनाँक 11.09.2017, निर्णय दिनाँक 21.12.2017
केसरी, वगैरा बनाम् सरजूदेवी, वगैरा।

हैं। वाद में किसी पक्षकार द्वारा वाद का खण्डन नहीं किया गया है। पक्षकारान राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में, दावा डिक्री किया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादीगण, पक्षकारान् राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में, डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर वादग्रस्त भूमि का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से कर, शरहद खरेश में निम्न खसरान् की भूमियों की वर्तमान खातेदारी के स्थान पर निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:–

1. खसरा नम्बर 410 रकबा 08.04 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 09 को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित जाता है।
2. खसरा नम्बर 412 रकबा 0.19 बीघा भूमि का वादीगण संख्या 01 व 02 तथा प्रतिवादीगण संख्या 02, 10 ता 12 व 14 को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. खसरा नम्बर 411 रकबा 10.06 बीघा भूमि में से रकबा 01 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 को, रकबा 01.10 बीघा भूमि का वादीगण संख्या 01 व 02 को, रकबा 01 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 15, 16, 17 व 18 को, रकबा 01.01 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 19 को, रकबा 04.10 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 14 को, रकबा 01.05 बीघा भूमि का वादीगण संख्या 01 व 02 तथा प्रतिवादीगण संख्या 10, 11 व 12 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. खसरा नम्बर 413 रकबा 07.19 बीघा भूमि का वादीगण संख्या 01 व 02 को तथा प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 13 को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपर्युक्त भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज खातेदार सुगना, भोमा, हीरा व मंगलाराम का नाम हटाया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **21.12.2017** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **255/2017** दायर दिनाँक **11.09.2017**

वादीगण		**प्रतिवादीगण**
1. केसरी पत्नी जस्साराम, उम्र–58साल, 2. प्रियंका पुत्री गड्डू उर्फ सोनू, उम्र–08साल, (वादी संख्या 02 नाबालिग जरिये संरक्षक दादी वादी संख्या 01 केसरी), समस्त,जाति–खरेश, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. सरजूदेवी पत्नी गोमाराम, उम्र–50साल, जाति–मेघवाल, निवासी–खरेश, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. बिरूराम पुत्र धन्नाराम, उम्र–45साल, 3. चुनकी पत्नी धन्नाराम, उम्र–25साल, प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03, जाति–सांसी, निवासी–खरेश, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 4. आपीस उर्फ धापू पत्नी भँवरू, उम्र–60साल, 5. केसराराम पुत्र भँवरू, उम्र–40साल, 6. पूर्णाराम पुत्र भँवरू, उम्र–38साल, 7. बुलाराम उर्फ श्यामलाल पुत्र भँवरू, उम्र–25साल, 8. सन्तरा पत्नी कालूराम, उम्र–30साल, 9. जलेबी पत्नी बुलाराम उर्फ नानुराम, उर्म–30साल, प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 09 तक, जाति–सांसी, निवासी–बड़ीखाटू, तहसील–जायल, जिला–नागौर, राजस्थान, 10. शंकर पुत्र जस्सा, 11. दलिप पुत्र जस्सा, 12. राजू पुत्र जस्सा, 13. मोती पुत्र मूला, उम्र–40साल, 14. सुरेश पुत्र चौथा, उम्र–35साल, 15. मदनाराम पुत्र मांगीया, उम्र–20साल,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

		16. मोटुराम पुत्र मांगीया, उम्र–23साल, 17. रामस्वरूप पुत्र मांगीया, उम्र–35साल, 18. रमेश पुत्र मांगीया, उम्र–25साल, प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 18 तक, जाति–सांसी, निवासी–खरेश, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 19. रामचन्द्र पुत्र बजरंगलाल, जाति–मेघवाल, निवासी–खरेश, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 20. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act.

दिनाँक **21.12.2017**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, वकील, वादीगण व श्री मो0 रफीक, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01, 04 ता 12 व 14 ता 17 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर वादग्रस्त भूमि का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से कर, शरहद खरेश में निम्न खसरान् की भूमियों की वर्तमान खातेदारी के स्थान पर निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:–

1. खसरा नम्बर 410 रकबा 08.04 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 09 को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित जाता है।
2. खसरा नम्बर 412 रकबा 0.19 बीघा भूमि का वादीगण संख्या 01 व 02 तथा प्रतिवादीगण संख्या 02, 10 ता 12 व 14 को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. खसरा नम्बर 411 रकबा 10.06 बीघा भूमि में से रकबा 01 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 को, रकबा 01.10 बीघा भूमि का वादीगण संख्या 01 व 02 को, रकबा 01 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 15, 16, 17 व 18 को, रकबा 01.01 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 19 को, रकबा 04.10 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 14 को, रकबा 01.05 बीघा भूमि का वादीगण संख्या 01 व 02 तथा प्रतिवादीगण संख्या 10, 11 व 12 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. खसरा नम्बर 413 रकबा 07.19 बीघा भूमि का वादीगण संख्या 01 व 02 को तथा प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 13 को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

उपर्युक्त भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज खातेदार सुगना, भोमा, हीरा व मंगलाराम का नाम हटाया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत................ .....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **21.12.2017** को जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–		महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः—255—2017 / रीडर / 2017 / 1185 दिनाँक 28/12/17

प्रेषितिः—

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः —निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा, अन्तर्गत धारा— 88, 53, 188 R.T.Act.

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. केसरी पत्नी जस्साराम, उम्र—58साल, 2. प्रियंका पुत्री गड्डू उर्फ सोनू, उम्र—08साल, (वादी संख्या 02 नाबालिग जरिये संरक्षक दादी वादी संख्या 01 केसरी), समस्त,जाति—खरेश, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. सरजूदेवी पत्नी गोमाराम, उम्र—50साल, जाति—मेघवाल, निवासी—खरेश, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner